क्रम-संख्या–31 (क–10)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 5 मार्च, 2024

फाल्गुन 15, 1945 शक सम्वत्

प्रारूप–19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

———

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

———

अधिसूचना संख्या 384

लखनऊ 5 मार्च, 2024

———

अधिसूचना

प०आ०–72

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (रैपिड रेल) परियोजना हेतु जिला मेरठ, तहसील सदर, जिला मेरठ के ग्राम मेरठ खास में क्षेत्रफल 0.1686 हे0, व ग्राम रिठानी में 0.0322 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1985, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दो समाचार पत्रों अमर उजाला (हिन्दी अंक) व हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी अंक) में दिनांक 28 अप्रैल, 2023, को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर, मेरठ को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला मेरठ, तहसील सदर, परगना, ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देती हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर मेरठ को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सदर	मेरठ खास	1672	252.91
			1682	182.32
			1918	136.32
			1919	124.39
			1922	36.47
			1924	19.12
			1962	95.53
			1963	53.65
			1965	179.11
			1966	159.69
			1968	130.25
			1678	184.04
			1676	105.56
			1059	26.64
		रिठानी	1090	322

आज्ञा से,
(ह0) अपठनीय,
समुचित सरकार/जिलाधिकारी, मेरठ।

अनुसूची "ख"
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आज्ञा से,
(ह0) अपठनीय,
समुचित सरकार/जिलाधिकारी, मेरठ।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना हेतु जिला मेरठ, तहसील सदर, ग्राम मेरठ खास (क्षेत्रफल 0.1686 हे0) व रिठानी (क्षेत्रफल 0.0322 हे0) में अधिग्रहण की जा रही 0.2008 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1985 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण उपरान्त क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय राजधानी एवं अन्य प्रयुक्त शहरी बिन्दुओं के बीच सड़कों पर वाहनों में कमी के कारण सम्पूर्ण वातावरण में प्रदूषण की व्यापक कमी होगी।

उक्त परियोजना हेतु ग्राम मेरठ खास (क्षेत्रफल 0.1686 हे0) व रिठानी (क्षेत्रफल 0.0322 हे0) तहसील सदर जनपद मेरठ में 0.2008 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 101 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार हैः–

- भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एवं अनुसूची–1 के क्रम में किया जायेगा।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पाँच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि परिवहन व्यय के रूप में प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह0) अपठनीय,
समुचित सरकार/जिलाधिकारी, मेरठ।

FORM-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 19 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Revenue Department

Notification no. 384

Dated Lucknow, March 5, 2024

WHEREAS preliminary notification no. 1985 dated April 27, 2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of village Meerut Khas 0.1686 hec., Rithani area 0.0322 hec., Pargana Tehsil Meerut District Meerut is required for public purpose, namely project "Implementation of Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) and lastly published in two local newspaper Amar Ujala (in Hindi) and Hindustan Times (in English) dated April 28, 2023. The Deputy Collector/Assistant Collector Meerut was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of……..Nill……hectares in village-……..Nill…… Pargana-……..Nill……District-……..Nill……as given in schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Meerut to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE "A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Sqr. mtr.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sadar	Meerut Khas	1672	252.91
			1682	182.32
			1918	136.32
			1919	124.39
			1922	36.47
			1924	19.12
			1962	95.53
			1963	53.65
			1965	179.11
			1966	159.69
			1968	130.25

1	2	3	4	5
Meerut	Sadar	Meerut Khas	1678	184.04
			1676	105.56
			1059	26.64
		Rithani	1090	322

With Permission,
(*Sd.*) Illegible,
State Government/Collector,
Meerut.

SCHEDULE-"B"
(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked For Rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

By order,
(*Sd.*) Illegible,
Appropriate Government/District Collector,
Meerut.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification no. 1985, dated April 27, 2023, 0.2008 hectares of land in village Meerut Khas (0.1686 hect.) and Rithani (0.0322 hect.) Tehsil Sadar, District Meerut is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor project through National Capital Region Transport Corporation, I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below.

Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor would bring economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and Nodal Cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For the said project, 0.2008 hectares land is proposed to be acquired in village Meerut Khas (0.1686 hect.) and Rithani (0.0322hect.) Tehsil Sadar, District Meerut in which around 101 families are

expected to be affected because of the acquisition. For the project affected families, R & R draft scheme has been prepared. The salient features of the Resettlement and Rehabilitation scheme are as follows:

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act, 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of the schedule-2 of the RFCTLARR Act, 2013.
- One time payment of Rs. 5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family.
- One time resettlement allowance of Rs. 50,000/- to each affected family.
- Subsistence grant of Rs. 3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.
- One time transportation allowance @ Rs. 50,000/- per displaced family.

The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.

The plan for the land may be inspected in the office of the collector for the purpose of land Acquisition.

By order,
(*Sd.*) Illegible,
Appropriate Government/District Collector,
Meerut.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1179 राजपत्र–2024–(3232)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 14 आवास एवं शहरी नियोजन–2024–(3233)–150 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
1179 RPH 2024 (Rajaswa vibhag samuchit sarkar) (Bhoomi folder-22) data 8e